न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

71

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1150 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.11.2017 पारित द्वारा अपर आयक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 246/अपील/2015-16.

धनराज आ. प्रकाश
निवासी ग्राम मेहगवां टप्पा,
तह. बेगमगंज, जिला रायसेन

...............आवेदक

विरूद्ध

1. रामकुमार उर्फ राजकुमार दुबे
आ.स्व. श्री बैजनाथ
2. नरेश आ. रामकुमार दुबे
निवासीगण ग्राम मेहगवां टप्पा,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन

................अनावेदकगण

श्री संजय नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 14.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक धनराज द्वारा नायब तहसीलदार, बेगमगंज के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता खुलवाये जाने बावत् एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण

क्र. 2/अ-13/13-14 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2015 द्वारा अस्वीकार किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2015 को आदेश पारित कर आने-जाने का रास्ता मान्य करते हुए अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14.11.2017 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21.12.2015 निरस्त किया गया तथा अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया कि आवेदक अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु अन्य कौन से रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक को ख. क्र. 90 की मेड़ पर से आने जाने से रोका जा रहा है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 के प्रावधानों का उल्लंघन कर आवेदन पत्र निरस्त करने में गंभीर भूल की है, जो कि सुधारे जाने योग्य है।

(2) अनावेदकगण द्वारा भी तहसील न्यायालय की कार्यवाही के दौरान यह नहीं बताया गया कि आवेदक किस अन्य रास्ते से अपनी भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, जबकि जिस मेड़ का उपयोग आने जाने में किया जा रहा है, उस पर सागौन एवं छेवला के वृक्ष भी लगे हुये हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के समय अनावेदकगण मौके पर उपस्थित नहीं हुये।

(3) संहिता की धारा 131 के अंतर्गत यदि कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तो मार्ग से अवरोध हटाया जाना आवश्कय है एवं ऐसी परिस्थिति में आदेश दिया जाना उचित होता है, परंतु तहसीलदार द्वारा आवेदन निरस्त कर गंभीर भूल की गई है।

(4) संहिता की धारा 131 के अधीन रूढिगत एवं सुविधा के आधार पर मार्ग का अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस संबंध में 1993 आर.एन. 204, धापू बाई विरूद्ध गिरवर का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(5) यदि कोई मार्ग दीर्घकाल से आने जाने में उपयोग किया जा रहा हो, तो यह रूढिगत मार्ग ही माना जावेगा, परंतु तहसीलदार द्वारा इस ओर भी ध्यान न देकर आवेदन पत्र निरस्त किया, जो कि संशोधन योग्य है।

(6) किसान/भूमिस्वामी को उसकी काश्त भूमि तक सरलता से पहुंचने के लिए मार्ग की सुविधा दी जाना अपेक्षित है और राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन एवं पंचनामा में भी मार्ग का उल्लेख किया है, ऐसी स्थिति में भी आवेदक को अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु मेड पर से आने जाने हेतु रास्ता खुलवाया जाना चाहिए।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर आवेदक को अपनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु ख.क्र. 90 की मेड़ पर से आने जाने से रास्ता का उपयोग किये जाने की अनुमति का आदेश प्रदान का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा स्वयं निरीक्षण के दौरान अनावेदक क्र. 1 द्वारा बताया गया कि भूमि खाली थी, तब आते जाते थे, लेकिन रास्ता पुश्तैनी नहीं है। यदि रास्ता पुश्तैनी होता तो परिवार के अन्य सदस्य भी रास्ते का उपयोग करते। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में रामेश्वर, श्रीमती हरिबाई एवं चन्द्रभान दुबे द्वारा भी उक्त रास्ते से खेत में जाना बताया, लेकिन इनके द्वारा रास्ते के अवरूद्ध किये जाने पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त रास्ते का उपयोग करने वाले को साक्ष्य के रूप में भी पेश नहीं किया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक एवं परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अन्यत्र रास्ता उपलब्ध है, जिससे खेत में पहुँचकर फसल बोई गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादग्रस्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध रास्ता के संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा कोई विवरण न दिये जाने के बिंदु पर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में भूल की गई है। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का

त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ **उपरोक्त विवेचना** के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2017 **स्थिर** रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/2018/1150

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.03.2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। लिपिकीय त्रुटिवश प्रकरण क्र. पीबीआर/निगरानी/रायसेन/2017/1150 टाईप हो गया है, जबकि सही प्रकरण क्र. पीबीआर/निगरानी/रायसेन/2018/1150 है। अत: उपरोक्त त्रुटि, लिपिकीय त्रुटि होने से सुधार करते हुए प्रकरण क्र. पीबीआर/निगरानी/रायसेन/2017/1150 के स्थान पर प्रकरण क्र. पीबीआर/निगरानी/रायसेन/2018/1150 पढ़ा जाये। यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी। अध्यक्ष	